न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 10/2021

बउनवान

घनश्याम आयु 38 वर्ष पुत्र श्री किशनचन्द, जाति अहीर, निवासी ग्राम विजयपुर, तहसील बारां, जिला बारां राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

उपस्थिति :– 1. श्री हेमराज बैरवा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 31.01.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 09.10.2020 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम विजयपुर तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 0.30 है., किस्म– चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर मानकर 150/– रूपये शास्ति आरोपित कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही दिया गया न ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। पत्रावली में अपीलांट का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है, तथा अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की है, और न ही पेमाईश रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है तथा न ही कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये गये हैं, केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है, अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.02.14 15:32:54 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस हेतु नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवाई गई है ना ही सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अपीलांट को कभी बेदखल नही किया गया है तथा पत्रावली में पूर्व का बेदखली नामा शामिल नही किया गया है। अतिक्रमण वाली आराजी की पेमाईश भी नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलांट का उक्त वर्णित आराजियात पर कोई कब्जा नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.10.2020 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट का तामीली नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 295/20 निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट को नोटिस की विधिवत तामील करवाई गई है तथा अपील में अपीलांट ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने आरोपित जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 116 रकबा 0.30 है0 किस्म चारागाह ग्राम विजयपुर पर सम्वत् 2076 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 295/20 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2020 से बेदखल किया जाना अपीलाधीन निर्णय से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 1143/2020 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.02.14 15:32:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर
बारां (राज.)
जिला कलेक्टर,बारां